आखिरी जांच: 9 अक्टूबर 2026 · Revenue and Disaster Management Department (Commissionerate of Revenue Administration)

Pension to Poor Unmarried Women of age 50 years and above

तमिलनाडु 50 साल या उससे अधिक उम्र की उन निराश्रित अविवाहित महिलाओं को मासिक पेंशन देता है जिनके पास बहुत कम संपत्ति है। आवेदन ऑनलाइन होता है और राजस्व अधिकारी उसकी जांच करते हैं।

क्या मिल सकता है

1,200 रुपये की मासिक पेंशन, जो राज्य की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था से बैंक खाते में आती है। दिव्यांग पेंशन को छोड़कर राज्य की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी पेंशनधारकों को हर महीने 1,200 रुपये मिलते हैं।

किसके लिए है

तमिलनाडु की 50 वर्ष या उससे अधिक आयु की निराश्रित अविवाहित महिलाएं, जिनकी अचल संपत्ति योजना की तय सीमा के भीतर है।

मुख्य शर्तें

- आवेदिका निराश्रित हो और उसका कभी विवाह न हुआ हो।
- आवेदिका की उम्र 50 साल या उससे अधिक हो।
- अचल संपत्ति का मूल्य 1,00,000 रुपये से अधिक न हो। सरकार से मिले मुफ्त मकान का मूल्य इसमें नहीं गिना जाता।

आवेदन कैसे करें

1. सामाजिक सुरक्षा योजना पेंशन के ऑनलाइन पोर्टल www.tnesevai.tn.gov.in पर 50 वर्ष से अधिक अविवाहित महिलाओं की पेंशन चुनकर आवेदन करें।
2. ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और राजस्व निरीक्षक आपके दावे की जांच करते हैं और फिर तहसीलदार (सामाजिक सुरक्षा योजना) को स्वीकृति या अस्वीकृति की सिफारिश भेजते हैं।
3. आवेदनों की जांच कर 30 दिन के भीतर निपटाना तय है। मंजूरी के बाद जिले में पद खाली होने पर वरिष्ठता के क्रम में पेंशन दी जाती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://www.cra.tn.gov.in/online_sssp_t.php
आधिकारिक आवेदन: https://www.tnesevai.tn.gov.in
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/tamil-nadu/tn-pension-poor-unmarried-women-50-plus/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।